

GOVERNMENT OF INDIA/भारत सरकार  
MINISTRY OF RAILWAYS/रेल मंत्रालय  
(Railway Board)रेलवे बोर्ड  
\*\*\*\*\*

S.No. PC-VI/150  
No. PC-V/2008/A/TA/2

RBE NO. 179/2009  
New Delhi, dated 29.09.2009


The General Manager  
All Indian Railways & PUs  
(As per mailing list)

**Sub:-Grant of Transport Allowance to officers in Grade Pay of Rs.10,000 and Rs.12000 & those in HAG+ Scale-clarification reg.**

**Ref:- Board's letter of No. PC-V/2008/A/TA/2 dt.12.09.2008 (RBE No.111/2008)**

On receipt of references seeking certain clarification regarding admissibility etc of Transport Allowance to officers in Grade Pay of Rs.10000 and above the matter has been examined in Board's office and it is clarified as under:-

- (a) The officers who are availing facility of earmarked official vehicles (Govt.owned or hired) are not entitled for grant of Transport Allowance.
  - (b) Grant of both the benefits viz.Transport Allowance and earmarked vehicle in not admissible to any officer.
  - (c) If any officer who has availed the facility of earmarked vehicle had also availed Transport Allowance in the past the same has to be recovered.
2. Necessary action on above lines may please be taken while regulating grant of Transport Allowance to officers in Grade Pay of Rs.10000& above.
  3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.
  4. Hindi version is enclosed.

  
( N.P.Singh )  
Dy.Director, Pay Commission - V  
Railway Board

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

क्रम सं. पीसी-VI/150  
सं. पीसी-V/2008/ए/टीए/2

आरबीई सं. 179/2009  
नई दिल्ली, दिनांक: 29.09.2009

महाप्रबंधक,  
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां  
(डाक सूची के अनुसार)


**विषय:** 10,000 रुपए तथा 12,000 रुपए ग्रेड पे वाले और एचएजी प्लस वेतनमान वाले अधिकारियों को परिवहन भत्ता प्रदान करने के संबंध में स्पष्टीकरण।  
**संदर्भ:** बोर्ड का दिनांक 12.09.2008 का पत्र सं. पीसी-V/2008/ए/टीए/2 (आरबीई सं. 111/2008).

ऐसे संदर्भ प्राप्त होने पर जिनमें 10,000 रुपए तथा अधिक की ग्रेड पे में अधिकारियों को परिवहन भत्ते की स्वीकार्यता आदि के संबंध में स्पष्टीकरण मांगे गए हैं, मामले की बोर्ड कार्यालय में जांच की गई है तथा निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है:-

- (क) जो कर्मचारी निर्धारित सरकारी वाहन (सरकार का अपना अथवा किराए पर लिया गया) का इस्तेमाल कर रहे हैं, परिवहन भत्ता प्रदान करने के लिए पात्र नहीं हैं।
- (ख) किसी भी अधिकारी को दोनों लाभ यथा परिवहन भत्ता तथा निर्धारित वाहन स्वीकार्य नहीं है।
- (ग) यदि निर्धारित वाहन की सुविधा का लाभ उठाने वाले किसी अधिकारी ने विगत में परिवहन भत्ता भी लिया है तो उसकी वसूली की जाती है।

2. 10,000 रुपए तथा इससे अधिक की ग्रेड पे में अधिकारियों को परिवहन भत्ता प्रदान करना विनियमित करते समय उपर्युक्त के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।



(एन.पी. सिंह)

उप निदेशक, वेतन आयोग-V  
रेलवे बोर्ड